



भारत गणतंत्र सरकार और लेसोथो किंगडम की सरकार के मू-भागों के बीच सेवाओं के लिये

हवाई परिवहन करार

भारत गणतंत्र सरकार और लेसोथो किंगडम की सरकार जिन्हें इससे आगे "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है ,

जो 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत किए गए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता है , और जो अपने-अपने मू-भागों के बीच अनुसूचित हवाई सेवाएँ स्थापित करने के प्रयोजन से एक करार करने की इच्छा रखते हैं ,

निम्नलिखित के लिये सहमत हुए हैं ,


अनुच्छेद-1

परिभाषा

1. जब तक कि प्रसंग से कोई अन्य अर्थ अभीष्ट न हो, प्रस्तुत करार के प्रयोजन के लिए :

1-1 "अभिसमय" पद का आशय 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है, और इसमें उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अंतर्गत स्वीकृत कोई भी अनुबंध तथा उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 90 और 94 के अधीन अनुबंधों या अभिसमय में किया गया कोई भी संशोधन शामिल होगा जहाँ तक ये अनुबंध और संशोधन दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिये गए हों ,

1-2 "वैमानिकी प्राधिकारी"पद का आशय, भारत गणतंत्र सरकार के मामले में नागर विमानन महानिदेशक तथा ऐसे व्यक्ति या संस्था से है जिसे ऐसे कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो जो इस समय उक्त प्राधिकारी द्वारा किये जाते हैं और लेसोथो किंगडम की सरकार के मामले में परिवहन एवं संचार मंत्री या ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था से है जिसे इस समय उक्त प्राधिकारी द्वारा किये जा रहे कार्यों को करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो ,



सत्यमेव जयते

: 2 :

- 1-3 "नामित विमान कम्पनी" पद का आशय ऐसी विमान कंपनी से है जिसे प्रस्तुत करार के अनुच्छेद 4 के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया हो ,
- 1-4 "भू-भाग" पद का आशय किसी भी राज्य के मामले में वही है जो उसे अभिसमय के अनुच्छेद 2 में दिया गया है ,
- 1-5 "हवाई सेवाओं" "अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं" "एयरलाइन" और "यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिये स्कना" पदों का आशय वही है जो कि उन्हें क्रमशः अनुच्छेद 9.6 में दिया गया है , और
- 1-6 "टैरिफ" पद का आशय उन लागतों से है जो यात्रियों और कार्गो के वहन के लिये अदा किये गए हो और उन शर्तों से है जिनके अंतर्गत ये किराये लागू होती है, इनमें एजेंसी और अन्य अनुषंगी सेवाओं की लागतें, कमीशन और शर्तें भी शामिल हैं, लेकिन इसमें डाक के वहन के लिये पारिश्रमिक और शर्तें शामिल नहीं होंगी ,
- 1-7 "अनुबंध" पद का आशय इस करार से संबद्ध अनुबंध या अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के अनुसार संशोधित अनुबंध से है और इस करार के प्रयोजन के लिये अनुबंध इस करार का एक अभिन्न हिस्सा है और जहाँ अन्यथा अपेक्षित न हो, करार से संबंधित सभी संदर्भों में अनुबंध से संबंधित संदर्भ भी शामिल होगा ।

अनुच्छेद-2

शिक्नगो अभिसमय की प्रयोज्यता

- 2-1 इस करार के प्रावधान जहाँ तक प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर लागू हों, अभिसमय के प्रावधानों के अधीन होंगे ।



: 3 :

अनुच्छेद-3

अधिकारों की मंजूरी

- 3-1 प्रत्येक सविदाकारी पक्ष दूसरे सविदाकारी पक्ष को अपने अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है :
- 3-1-1 बिना उतरे हुए दूसरे सविदाकारी पक्ष के भू-भाग से होकर उड़ना, और
- 3-1-2 यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए उक्त भू-भाग में रुकना ।
- 3-2 प्रत्येक सविदाकारी पक्ष दूसरे सविदाकारी पक्ष को, इस करार के अनुबंध के उपयुक्त खंड में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं स्थापित करने के प्रयोजन के लिए अधिकार मंजूर करता है । ऐसी सेवाओं तथा मार्गों को आगे क्रमशः "सम्मत सेवाएं" और "निर्दिष्ट मार्ग" कहा जाएगा । प्रत्येक सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर सम्मत सेवाएं परिचालित करते समय इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3-1 में निर्दिष्ट अधिकार के साथ-साथ यात्री, माल तथा डाक उतारने तथा चढ़ाने के प्रयोजन के लिए इस करार के अनुबंध में निर्दिष्ट मार्ग के लिए दूसरे सविदाकारी पक्ष के भू-भाग में निर्दिष्ट स्थानों पर रुकने का अधिकार होगा ।
- 3-3 इस अनुच्छेद के पैरा 3-2 में उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं समझा जाएगा कि उससे एक सविदाकारी पक्ष के भू-भाग में नामित विमान कम्पनी द्वारा ऐसे यात्रियों, माल तथा डाक को किराये या प्रतिफल के लिए चढ़ा सकेगा जिसे उस दूसरे सविदाकारी पक्ष के भू-भाग में ही किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जाना हो ।

अनुच्छेद-4

विमान कम्पनियों का नामित और प्राधिकृत किया जाना

- 4-1 प्रत्येक सविदाकारी पक्ष को, विनिर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं के परिचालन के प्रयोजन के लिए,



सत्यमेव जयते


: 4 :

राजनीयक माध्यम से लिखित रूप में, दूसरे सौविदाकारी पक्ष को एक विमान कंपनी नामित करने का अधिकार होगा ।

4-2 ऐसा नामांकन प्राप्त होने पर, दूसरे सौविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी बिना विलंब के, इस अनुच्छेद के पैरा 4-3 और 4-4 के उपबंधों के अधीन, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4-1 के अनुसार इस प्रकार नामित विमान कंपनी को उपयुक्त परिचालन प्राधिकार मंजूर करेगा ।

4-3 एक सौविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी, दूसरे सौविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कंपनी से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह उन्हें इस बात के लिये संतुष्ट करे कि वह उक्त प्राधिकारियों द्वारा अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के परिचालन पर सामान्यतः लागू कानूनों और विनियमों के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा करने योग्य है ।

4-4 प्रत्येक सौविदाकारी पक्ष को इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4-2 में उल्लिखित परिचालन प्राधिकार देने से इंकार करने या इस करार के अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट अधिकारों पर नामित विमान कंपनी द्वारा उनके प्रयोग करने पर ऐसी शर्तें लगाने का अधिकार होगा जो वह आवश्यक समझे, यदि उक्त सौविदाकारी पक्ष इस बात से संतुष्ट नहीं है कि विमान कंपनी का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण विमान कंपनी को नामित करने वाले सौविदाकारी पक्ष अथवा ऐसे सौविदाकारी पक्ष के राष्ट्रको में निहित है । "वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण" से अभिप्रेत यह है कि यदि किसी मामले में नामित विमान कंपनी इस करार के अंतर्गत अपनी सेवाएं, किसी अन्य देश या किसी अन्य देश की सरकार या राष्ट्रको के साथ करार करते हुए परिचालित करती है, तब सौविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी या इसके राष्ट्रको के बारे में यह समझा जाएगा कि नामित विमान कंपनी पर उनका वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण नहीं है जब तक सौविदाकारी पक्ष या इसके राष्ट्रको के पास, नामित विमान कंपनी की परिसम्पत्तियों के मुख्य भाग के स्वामित्व के अतिरिक्त निम्नलिखित भी न हो :



: 5 :

§ 1 § नामित विमान कंपनी के प्रबंध मंडल में प्रभावी नियंत्रण, और

§ 2 § सेवाओं के परिचालन में प्रयुक्त उपस्कर और विमान बेड़े के मुख्य भाग पर स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण ।

4.5 जब एक विमान कंपनी इस प्रकार नामित और प्राधिकृत कर ली जाए तो यह ऐसी सम्मत सेवाओं का परिचालन कर सकती है जिनके लिये इसे नामित किया गया है बशर्ते कि इस करार के अनुच्छेद 7 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित टैरिफ उन सेवाओं के संबंध में लागू हों ।

अनुच्छेद-5

परिचालन प्राधिकारों का प्रतिबंधन या निलंबन

5.1 प्रत्येक सीवदाकारी पक्ष को, दूसरे सीवदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा इस करार के अनुच्छेद-3 में विनिर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग का निलंबन करने या परिचालन प्राधिकार प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा या इन अधिकारों के प्रयोग पर ऐसी शर्तें लगाने का अधिकार होगा जो वह आवश्यक समझे ,

5.1.1 यदि किसी भी ऐसे मामले में जहाँ वह इस बात से संतुष्ट न हो कि उस विमान कंपनी का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण विमान कंपनी को नामित करने वाले सीवदाकारी पक्ष अथवा उसके राष्ट्रको में निहित है, अथवा

5.1.2 यदि वह विमान कंपनी इन अधिकारों को मंजूर करने वाले सीवदाकारी पक्ष के भू-भाग में लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने में असमर्थ रहती है, अथवा

5.1.3 किसी भी ऐसे मामले में जहाँ वह विमान कंपनी अन्यथा इस करार के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार परिचालन करने में असमर्थ रहती है ।



: 6 :

- 5-2 जब तक इस करार के प्रावधानों के निर्दिष्ट कानूनों और विनियमों के अतिरिक्त को रोकने के लिए तत्काल प्रतिबंध, निलंबन या इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 5.1 में उल्लिखित शर्तों का आरोपण अनिवार्य न हो तो ऐसे अधिकार का प्रयोग दूसरे सीविदाकारी पक्ष के साथ परामर्श करने के बाद ही किया जाएगा ।

अनुच्छेद-6

सम्मत सेवाओं को प्रशासित करने वाले सिद्धांत

- 6-1 दोनों सीविदाकारी पक्षों की नामित विमान कंपनियों को अपने भू-भागों के बीच निर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं का परिचालन करने का उचित और समान अवसर उपलब्ध होगा ।
- 6-2 सम्मत सेवाओं का परिचालन करते समय प्रत्येक सीविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी दूसरे सीविदाकारी पक्ष की विमान कंपनी के हितों को ध्यान में रखेगी ताकि इस दूसरी विमान कंपनी द्वारा उसी मार्ग के संपूर्ण या किसी हिस्से में उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।
- 6-3 सीविदाकारी पक्षों की नामित विमान कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सम्मत सेवाओं का निर्दिष्ट मार्गों पर यात्रियों के परिवहन से संबंधी आवश्यकताओं से निकट संबंध होगा और उनके मूल उद्देश्यों के अनुरूप, उसे नामित करने वाले सीविदाकारी पक्ष के भू-भाग के किसी स्थान से आने वाले या उस स्थान तक जाने वाले यात्रियों, माल और डाक के वहन के लिये मौजूदा और समुचित रूप से प्रत्याशित आवश्यकताओं के लिये उपयुक्त भार गुणक के अनुसार विमान क्षमता की व्यवस्था करेगा ।



सत्यमेव जयते

: 7 :

- 6-4 सम्मत सेवाओं के शुरू होने से पूर्व उपलब्ध कराई जाने वाली विमान क्षमता और परिचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति के बारे में ऊपर निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार दोनों सविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सहमत होगी और इस अनुच्छेद के प्रावधानों की राजनीतिक टिप्पणियों के माध्यम से पूर्ण की जाएगी ।
- 6-5 दोनों सविदाकारी पक्षों में से किसी भी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और/या परिचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति में कोई भी वृद्धि मुख्य रूप से सविदाकारी पक्षों के भू-भागों के बीच यातायात की अनुमानित आवश्यकताओं पर आधारित होगी और यह दोनों वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच करार के अधीन होगी । ऐसी सहमति और समझौता होने तक, पहले से लागू क्षमता और आवृत्तियों की हकदारी बनी रहेगी ।

अनुच्छेद-7

टैरिफ

- 7-1 एक सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा दूसरे सविदाकारी पक्ष के भू-भाग से या उस तक वहन के लिये वसूल किये जाने वाला टैरिफ समुचित स्तरों पर निर्धारित किया जाएगा जिसमें परिचालन की लागत, उचित लाभ और अन्य खर्चों के टैरिफ सहित सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा ।
- 7-2 इस अनुच्छेद के पैरा 7-1 में निर्दिष्ट टैरिफ के बारे में यदि संभव हो, तो दोनों सविदाकारी पक्षों की नामित विमान कंपनियों के बीच संपूर्ण मार्ग या उसके किसी भाग में परिचालन कर रही किसी अन्य विमान कंपनी के साथ परामर्श से सहमत होगी और ऐसा करार जहाँ तक संभव हो सके टैरिफों के निर्धारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संधि की प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए किया जाएगा ।

ही जाता।

बाराह § 128 महीने से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता जिस तारीख को वह अन्धरा समाप्त
नियमित टैरिफ लागू रहेगी। तथापि, इस पैरा के अधार पर टैरिफ को उस तारीख के बाद
जब तक नए टैरिफ का निर्धारण नहीं कर लिया जाता तब तक इस अर्जेंट के उपबंधों के अनुसार

7-7

ही इस प्रकार के अर्जेंट 17 के उपबंधों के अनुसार इस मामले का निपटारा किया जाएगा।
अनुमोदन अथवा इस अर्जेंट के पैरा 7-5 के अंतर्गत टैरिफ के निर्धारण पर सहमत न हो सके
यदि वैमानिकी प्राधिकारी, इस अर्जेंट के पैरा 7-3 के अंतर्गत उन्हें प्रस्तुत किए गए टैरिफ के

7-6

ही, आपसी सहमति से टैरिफ निर्धारण करने का प्रयास करे।

देश के वैमानिकी प्राधिकारियों के साथ परामर्श करने के पश्चात, जिसकी सलाह से ठीक समझने
अपनी सहमति का नोटिस देना है तो दोनों सौदेगारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी, अन्य किसी
वैमानिकी प्राधिकारी को इस अर्जेंट के पैरा 7-2 के प्रावधानों के अनुसार नियमित टैरिफ पर
या इस अर्जेंट के पैरा 7-4 के अनुसार लागू अवधि के दौरान एक वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे
यदि इस अर्जेंट के पैरा 7-2 के अनुसार इस टैरिफ के निर्धारण पर सहमति नहीं होती है

7-5

सकता है, तोस § 308 दिन से कम की होगी।

प्राधिकारी आपस में सहमत हो सकते हैं कि अस्वीकृत की अवधि जिसमें इसे औपचारिक किया जा
ये किए गए प्रावधान के अनुसार यदि प्रस्तुतीकरण की अवधि को कम किया जाता है, जब वैमानिकी
के लिए अपनी अस्वीकृत न ही हो, इन टैरिफों को अनुमोदन मान लिया जाएगा। पैरा 7-3
इस अर्जेंट के पैरा 7-3 के अनुसार प्रस्तुत किए जाने के तोस § 308 दिनों के भीतर अनुमोदन
इन "टैरिफों" का अनुमोदन शीघ्र दिया जाएगा, अथवा यदि किसी भी वैमानिकी प्राधिकारी ने

7-4

यह अवधि कुछ विशेष मामलों में उक्त प्राधिकारियों की सहमति से कम की जा सकती है।

दिन पूर्व दोनों सौदेगारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जाएगा
इस प्रकार समान टैरिफ, उसके लागू किये जाने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम साठ § 608

7-3

: 8 :

संयुक्त राष्ट्र





सत्यमेव जयते

: 9 :

अनुच्छेद-8

विमानन सुरक्षा

- 8-1) अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप सौविदाकारी पक्ष पुनः इस बात की पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप की कार्रवाई के विरुद्ध नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व इस करार का अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों की व्यापकता को सीमित किए बिना, सौविदाकारी पक्ष, 14 सितम्बर, 1963 को तोकियो में हस्ताक्षरित, विमान में किए गए अपराधों एवं कुछ अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण निवारण अभिसमय और 23 सितम्बर, 1971 को माद्रियल में हस्ताक्षरित नागर विमानन सुरक्षा के विरुद्ध गैर-कानूनी कार्रवाई उन्मूलन अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।
- 8-2) अनुरोध किए जाने पर सौविदाकारी पक्ष, सवित विमानों का अभिग्रहण करने और विमान, उसके यात्रियों और कर्मियों, विमानों और विमान दिक्चालन सुविधाओं तथा नागर विमानन सुरक्षा को होने वाले किसी भी प्रकार के खतरे के विरुद्ध किसी भी प्रकार के गैर-कानूनी कार्यों को रोकने के लिए एक दूसरे को सभी संभव सहायता प्रदान करेंगे।
- 8-3) दोनों पक्ष अपने परस्पर संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंध के रूप में नामित नागर विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप उस सीमा तक कार्य करेंगे जहाँ तक वे इन पक्षों पर लागू होते हैं, वे अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों जिनका व्यवसाय का प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उनके भू-भाग में है तथा उनके क्षेत्र में, हवाई जड़ों के प्रचालकों से बड़ अपेक्षा करेंगे कि वे इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करें।
- 8-4) प्रत्येक सौविदाकारी पक्ष इस बात पर सहमत होगा कि विमान के इस प्रकार के प्रचालकों को दूसरे



सत्यमेव जयते

: 10 :

सीविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करने, वहाँ से प्रस्थान करने अथवा उस भू-भाग में रहते समय उस दूसरे सीविदाकारी पक्ष द्वारा अपेक्षित उपरोक्त पैरा 8-3 में निर्दिष्ट विमानन सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। प्रत्येक सीविदाकारी पक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि विमान की सुरक्षा और विमान पर सवार होते समय अथवा उतरने के दौरान यात्रियों, कर्मियों, सामान, माल और विमानन भंडार की सुरक्षा के लिए उसके क्षेत्र में प्रभावी और उचित कदम उठाये गए हैं। प्रत्येक सीविदाकारी पक्ष किसी विशेष घमकी से निपटने के लिए विशेष सुरक्षा उपायों को करने के बारे में दूसरे सीविदाकारी पक्ष से प्राप्त किसी अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

- 8-5 यदि किसी सिविल विमान के गैर-कानूनी ढंग से अपहरण किये जाने अथवा घमकी दिये जाने की कोई घटना घटती है अथवा इस प्रकार के विमान, उसके यात्रियों और कर्मियों, हवाई अड्डों अथवा विमान दिक्कालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध कोई घटना घटती है तो सीविदाकारी पक्ष दूसरे सीविदाकारी पक्ष को इस प्रकार की घटना अथवा घमकी से शीघ्र निपटने के लिये संचार माध्यमों और अन्य उपायों के द्वारा एक दूसरे की सहायता करेंगे।

अनुच्छेद-9

सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्क और इसी प्रकार के अन्य प्रभारों से छूट

- 9-1 एक सीविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं पर परिचालित किये जा रहे विमान तथा विमान में रखे गए उनके नियमित उपस्कर, फालतू पुर्जे, ईंधन और स्नेहकों की सप्लाई और विमान में पहले से रखे गए विमान भंडार, जिसमें खाद्य, मादक पदार्थ और तम्बाकू भी सम्मिलित हैं के दूसरे सीविदाकारी पक्ष के भू-भाग में पहुँचने पर, सभी प्रकार के सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अन्य प्रकार के शुल्कों या करों से मुक्त रहेंगे बशर्ते ऐसे उपस्कर, पुर्जे और सप्लाई उस समय तक विमान में रहें जब तक उनका पुनः निर्यात नहीं किया जाता या उस भू-भाग के ऊपर की गई यात्रा में उसका उपयोग नहीं कर लिया जाता।

- 9-2 ये निष्पादित सेवा के अनुरूप प्रभारों के सिवाय, ऐसे ही शुल्कों, फीस और प्रभारों से मुक्त रहेंगे,

.....।।



: || :

- 9-2-1 किसी भी सीविदाकारी पक्ष के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर उस सीविदाकारी पक्ष के भू-भाग में विमान में लिये गए विमान भंडार जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं में लगी दूसरे सीविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी के विमान द्वारा बाहरी यात्रा में किया गया हो ।
- 9-2-2 दूसरे सीविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं में प्रयुक्त विमानों में रख-रखाव या मरम्मत के लिये किसी भी सीविदाकारी पक्ष के भू-भाग में इस्तेमाल में लाये गए क्ल-पुर्जे और इंजिन , और
- 9-2-3 एक सीविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी के विमान को सप्लाई किया गया ईंधन और स्नेहक, जो दूसरे सीविदाकारी पक्ष के भू-भाग में अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं में लंगा हुआ हो, चाहे इस सप्लाई का उपयोग उन आंशिक उड़ानों पर किया गया हो जो उस सीविदाकारी पक्ष के भू-भाग के ऊपर की गई हो जहाँ से इस सप्लाई को लिया गया हो, बशर्ते कि ऐसी सभी उड़ानों पर उस भू-भाग में विमान मध्यवर्ती अवतरण कर सकते हैं ।
- 9-3 ऊपर उप-पैराग्राफ 9-2-1, 9-2-2, और 9-2-3 में उल्लिखित सामग्री सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण या नियंत्रण में रखी जा सकती है ।

अनुच्छेद-10

उपस्कर, सामग्री और सप्लाई को उतारना

- 10-1 दोनों में से किसी भी सीविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी के विमान पर सामान्यतः रखे गए नियमित उड़ानगत उपस्कर तथा सामग्री और सप्लाई को दूसरे सीविदाकारी पक्ष के भू-भाग में उसके सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही उतारा जा सकेगा ।
- 10-2 ऐसे मामले में इन्हें उस समय तक उक्त प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में रखा जा सकेगा जब तक उन्हें




: 12 :

पुनः निर्यात नहीं कर दिया जाता या सीमा-शुल्क विनियमों के अनुसार उनका निपटान नहीं कर दिया जाता ।

अनुकेद-11

कानून, विनियम और प्रक्रियाओं को लागू करना

- 11.1 दोनों में से प्रत्येक सविदाकारी पक्ष के कानून, विनियम और प्रक्रियाओं का जिनके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं में लगे विमानों द्वारा उनके भू-भाग में प्रवेश करने और वहाँ से उड़ान भरने से संबंधी कार्यक्लाप अथवा ऐसे विमान के परिचालन और दिक्चालन प्रशासित होते हैं, दूसरे सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी के विमान द्वारा उक्त भू-भाग में प्रवेश करने, उसमें रुके रहने और वहाँ से प्रस्थान करने तक अनुपालन किया जाएगा ।
- 11.2 दोनों में से किसी भी सविदाकारी पक्ष के आप्रवासन, पासपोर्ट अथवा अन्य अनुमोदित यात्रा संबंधी दस्तावेज, प्रवेश, क्लियरेंस, सीमा-शुल्क और संशोधन से संबंधित कानून, विनियमों और कार्यविधियों का दूसरे सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी के विमान द्वारा वांछित कर्मिंदल, यात्रियों, माल और डाक के वहन के लिए उनके द्वारा अथवा उनकी ओर से उक्त सविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करते समय, वहाँ रुके रहते समय और वहाँ से प्रस्थान करते समय अनुपालन किया जाएगा।
- 11.3 दोनों में से किसी भी सविदाकारी पक्ष के भू-भाग के सीधे पारगमन में रुके यात्री, कार्गो और डाक, जो कि इस प्रयोजन के लिए आरक्षित हवाई अड्डे के क्षेत्र को न छोड़ना चाहते हों, हिंसा, अपहरण या तोड़-फोड़ के विरुद्ध सुरक्षा संबंधी उपायों के सिवाय, साधारण नियंत्रण प्रक्रिया के अधीन रहेंगे। सीधे पारगमन में रुका कार्गो और डाक सीमा-शुल्क और ऐसे ही अन्य शुल्कों से मुक्त रहेगा ।
- 11.4 दोनों में से किसी भी सविदाकारी पक्ष के भू-भाग में, हवाई अड्डों और अन्य विमानन सुविधाओं का उपयोग करने हेतु दूसरे सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी से वसूल किया गया शुल्क और प्रभार ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं में लगी दूसरी एयरलाइनों के परिचालन से अधिक नहीं होंगे ।



: 13 :

- 11-4 दोनों में से कोई भी सँविदाकारी पक्ष अपने सीमा-शुल्क, आत्रजन,संगरोध और इसी प्रकार के विनियमों को लागू करने अथवा अपने नियंत्रणाधीन हवाई अड्डों, हवाई मार्ग और हवाई यातायात सेवाओं और सहायक सुविधाओं के उपयोग में दूसरे सँविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी से ऊपर किसी अन्य एयरलाइन को तरजीज नहीं देगे ।

अनुच्छेद-12

परिचालन सूचना का प्रावधान

- 12-1 प्रत्येक सँविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित विमान कंपनी से अपेक्षा करेंगे कि वह दूसरे सँविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, जितनी जल्दी संभव हो सके, सम्मत सेवाओं के आरंभ करने से पहले, सेवा की किस्म, प्रयोग में लाए जाने वाले विमान के प्रकार, उड़ान अनुसूचियों, टैरिफ अनुसूचियों और सम्मत सेवाओं के परिचालन से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचना देगी और ऐसी सूचना भी देगी जिससे वैमानिकी प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो सके कि वर्तमान करार की सभी अपेक्षाओं का विधिवत ढंग से पालन किया जा रहा है । इस अनुच्छेद की अपेक्षाएँ इसी तरह सम्मत सेवाओं से संबंधित किन्हीं भी परिवर्तनों पर लागू होंगी ।

अनुच्छेद-13

आँकड़ों की व्यवस्था

- 13-1 दोनों में से किसी भी सँविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित विमान कंपनी से अपेक्षा करेंगे कि वह दूसरे सँविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को उस दूसरे सँविदाकारी पक्ष के भू-भाग को या वहाँ से अथवा उस भू-भाग से होकर प्रत्येक मास के दौरान सम्मत सेवाओं पर वहन किए गए यात्रियों से संबंधित आँकड़े, जिसमें प्रारंभिक और गंतव्य स्थान तथा यात्रियों के विमान में सवार होने और उतरने के स्थानों को दिखाया गया हो, प्रस्तुत करेंगी । ऐसे आँकड़े यथासंभव प्रत्येक मास के अंत में प्रस्तुत किये जाएंगे ।



: 14 :

अनुच्छेद-14

अर्जित राजस्व का हस्तांतरण

- 14.1 प्रत्येक सँविदाकारी पक्ष, दूसरे सँविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को, उसके भू-भाग में यात्रियों, सामान, कार्गो और डाक से अर्जित राजस्व में से व्यय के बाद बचत राशि अपने मुख्यालय को हस्तांतरित करने का अधिकार प्रदान करेगा। तथापि, इस प्रकार की राशि का प्रेषण परिवर्तित मुद्रा में किया जाएगा और यह उस सँविदाकारी पक्ष के विदेशी मुद्रा विनियमों के अधीन और अनुसार होगा जहाँ यह राजस्व अर्जित किया गया है।
- 14.2 इस प्रकार का हस्तांतरण वहाँ की सरकारी विनियम दर से किया जाएगा अथवा जहाँ सरकारी विनियम दर लागू न हो, वहाँ मुद्रा भुगतान के लिए प्रचलित विदेशी विनियम की मार्केट दर से किया जाएगा।
- 14.3 ऐसे मामलों में जहाँ दोनों सँविदाकारी पक्षों के बीच भुगतान के हस्तांतरण के लिए विशेष व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था के उपबंधों को, इस अनुच्छेद के पैरा 14.1 के अंतर्गत निधियों के हस्तांतरण पर लागू किया जाएगा।

अनुच्छेद-15

एयरलाइन प्रतिनिधित्व

- 15.1 प्रत्येक सँविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी, दूसरे सँविदाकारी पक्ष के प्रवेश और रिहायश से संबंधी कानूनों और विनियमों के अधीन, ऐसे दूसरे सँविदाकारी पक्ष के भू-भाग में सम्मत हवाई सेवाओं की व्यवस्था के लिये यथापेक्षित तकनीकी एवं वाणिज्यिक स्टाफ सहित अपने प्रतिनिधि रखने का हकदार होगी।



सत्यमेव जयते

: 15 :

अनुच्छेद-16

परामर्श और संशोधन

- 16-1 सीविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी निकट सहयोग की भावना से, इस करार के उपबंधों और इसके अनुबंध के सही कार्यान्वयन और संतोषजनक अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, समय-समय पर एक दूसरे से परामर्श करेंगे और जब भी संशोधन की आवश्यकता होगी आपस में सलाह मशविरा करेंगे ।
- 16-2 कोई भी सीविदाकारी पक्ष दूसरे सीविदाकारी पक्ष से परामर्श का अनुरोध कर सकता है जो मौखिक या लिखित हो सकता है । ऐसा परामर्श इसके लिये अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से साठ § 60 § दिन के भीतर शुरू हो सकेगा, बशर्ते कि दोनों सीविदाकारी पक्ष संयुक्त रूप से इस अवधि को बढ़ाने पर सहमत न हो जाएं ।
- 16-3 सीविदाकारी पक्षों द्वारा इस करार में किया गया कोई भी संशोधन टिप्पणियों के आदान-प्रदान से पुष्टि किये जाने पर लागू हो जाएगा ।
- 16-4 इस करार के अनुबंध में किये जाने वाले किसी भी संशोधन का निर्णय दोनों वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सीधे परामर्श से किया जाएगा ।

अनुच्छेद-17

विवाद का निपटान

- 17-1 यदि इस करार के निर्वचन अथवा प्रवर्तन के संबंध में कोई विवाद पैदा होता है तो सीविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी आपस में बातचीत द्वारा इसे निपटाने का प्रयास करेंगे, यदि ऐसा न हो सके तो यह विवाद निपटान के लिए सीविदाकारी पक्षों को भेजा जाएगा ।



सत्यमेव जयते

: 16 :

अनुच्छेद-18

समाप्त करना

- 18-1 दोनों में से कोई भी सीविकाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे सीविकाकारी पक्ष को लिखित रूप में राजनीतिक माध्यम से इस करार को समाप्त करने हेतु अपने निर्णय के बारे में नोटिस दे सकता है। ऐसा नोटिस साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी भेजा जाएगा। ऐसे मामले में, दूसरे सीविकाकारी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त करने की तारीख से बारह §12§ मास के बाद यह करार समाप्त हो जाएगा, बशर्ते कि यह नोटिस उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व ही वापिस न ले लिया जाए। दूसरे सीविकाकारी पक्ष से पावती प्राप्त न होने की स्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा इस नोटिस की प्राप्ति के चौदह §14§ दिन बाद यह नोटिस प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा।

अनुच्छेद-19

बहुपक्षीय हवाई अभिसमय की प्रयोज्यता

- 19-1 जहाँ तक इस करार के अंतर्गत स्थापित हवाई सेवाओं पर इसके लागू होने का प्रश्न है, इस अभिसमय के उपबंध इस करार की अवधि के दौरान सीविकाकारी पक्षों के बीच अपनी उसी वर्तमान स्थिति में लागू रहेंगे, जैसे कि यह करार के अभिन्न अंग हों, बशर्ते कि दोनों सीविकाकारी पक्ष अभिसमय में कोई संशोधन करने का समर्थन न करें जोकि विधिवत रूप से लागू हो जाएगा, उस स्थिति में यथासंशोधित अभिसमय इस करार की अवधि में लागू रहेगा।
- 19-2 यदि दोनों सीविकाकारी पक्षों के मामले में सामान्य बहुपक्षीय हवाई अभिसमय लागू होता है तो ऐसे अभिसमय के उपबंध मान्य होंगे।

अनुच्छेद-20

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पंजीकरण

- 20-1 यह करार और इससे संबंधित कोई भी संशोधन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पंजीकृत किया जाएगा।



: 17 :

अनुच्छेद-21

प्रवर्तन में आना

21.1 आवश्यक संवैधानिक प्रक्रियाओं का अनुपालन कर लिये जाने पर, यह करार हस्ताक्षर की तारीख से प्रवर्तन में आ जाएगा ।

दिनांक १६-६-६२ को मसेरू

में चार मूल पाठों में, प्रत्येक दो हिन्दी और दो अंग्रेजी भाषाओं में हस्ताक्षर किये जिनमें सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । यदि इसके निर्वचन में कोई मतभेद हो तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

‡ सत्यव्रत पाल ‡

तेसोथो में भारतीय उच्चायुक्त
कृते भारत सरकार

‡ टोकोन्ये कोटेलो ‡

तेसोथो किंगडम के विदेश मंत्री
कृते तेसोथो सरकार



सत्यमेव जयते

: १४ :

अनुबंध

मार्ग अनुसूची

खंड-१

क. भारत गणतंत्र सरकार द्वारा नामित एक विमान कंपनी को इस खंड में विनिर्दिष्ट मार्गों पर दोनों दिशाओं में अनुसूचित सेवाओं का प्रचालन करने और इसमें विनिर्दिष्ट स्थानों पर लेसोथो के भू-भाग में यातायात प्रयोजनों के लिए उतरने का अधिकार होगा ।

| उदगम स्थान | मध्यवर्ती स्थान | लेसोथो के स्थान |
|---------------|--|-----------------|
| | 2 | 3 |
| भारत के स्थान | भारत की नामित विमान कंपनी द्वारा चयन किया गया कोई स्थान जो बाद में निर्दिष्ट किया जाना है। | मसेरू |

टिप्पणी: {क} ऊपर कालम 2 में निर्दिष्ट स्थान को किसी एक अथवा सभी सेवाओं पर छोड़ा जा सकता है परन्तु सभी सेवाएँ भारत से शुरू होंगी अथवा भारत में समाप्त होंगी ।

खंड-2

ख. लेसोथो किंगडम सरकार द्वारा नामित विमान कंपनी को इस खंड में विनिर्दिष्ट मार्गों पर दोनों दिशाओं में अनुसूचित सेवाओं का प्रचालन करने और इसमें विनिर्दिष्ट स्थानों पर भारत के भू-भाग में यातायात प्रयोजनों के लिए उतरने का अधिकार होगा ।

| उदगम स्थान | मध्यवर्ती स्थान | भारत के स्थान |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| लेसोथो के स्थान | माडे {सेचत्स} | बम्बई |

टिप्पणी: {क} ऊपर कालम 2 में निर्दिष्ट स्थान को किसी एक अथवा सभी सेवाओं पर छोड़ा जा सकता है परन्तु सभी सेवाएँ लेसोथो से शुरू होंगी अथवा लेसोथो में समाप्त होंगी ।



AIR TRANSPORT AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF LESOTHO
FOR SERVICES BETWEEN THEIR RESPECTIVE TERRITORIES

The Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Lesotho (hereinafter described as the "Contracting Parties"):
Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the Seventh day of December, 1944; and
Desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing scheduled air services between their respective territories:

Have agreed as follows:

ARTICLE - 1

Definitions

1. For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:
 - 1.1. "The Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the Seventh day of December, 1944 including all Annexes adopted under Article 90 of that Convention and any amendments of the Annexes or the Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have been adopted by both Contracting Parties;
 - 1.2. "Aeronautical Authorities" means, in the case of the Government of the Republic of India, the Director General of Civil Aviation or any person or body authorised to perform the functions currently exercised by the said authority and in the case of the Government of



- 2 -

the Kingdom of Lesotho the Minister of Transport and Communications or any person or body authorized to perform the functions currently exercised by the said authority;

- 1.3. "designated airline" means an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 4 of this Agreement;
- 1.4. "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;
- 1.5. "air services", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention; and
- 1.6. "tariffs" means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices, commissions and conditions of agency and other auxiliary services, but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail;
- 1.7. "annex" means the Annex attached to this Agreement or as amended in accordance with the provisions of Article 16 and for the purpose of this agreement, Annex forms an integral part of this Agreement and all references to the Agreement shall include reference to the Annex except where otherwise provided.

ARTICLE - 2

Applicability of the Chicago Convention

- 2.1. The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.



- 3 -

ARTICLE - 3

Grant of Rights

- 3.1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect of its scheduled international air services:
- 3.1.1. the right to fly across its territory without landing; and
 - 3.1.2. the right to make stops in its territory for non-traffic purposes.
- 3.2. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement for the purpose of establishing scheduled international air services on the routes specified in the appropriate Section of the annex to this Agreement. Such services and routes are hereinafter referred to as the 'agreed services' and the 'specified routes' respectively. While operating an agreed service on a specified route the airline designated by each Contracting Party shall enjoy, in addition to the rights specified in paragraph 3.1 of this Article, the right to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the annex to this Agreement for the purpose of taking on board and discharging passengers, cargo and mail.
- 3.3. Nothing in paragraph 3.2 of this Article shall be deemed to confer on the designated airline of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail, carried for hire or reward, destined for another point on the territory of the other Contracting Party.



- 4 -

ARTICLE - 4

Designation and Authorization of Airlines

- 4.1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing through diplomatic channels to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.
- 4.2. On receipt of such designation, the aeronautical authorities of the other Contracting Party shall, without delay, and subject to the provisions of paragraphs 4.3 and 4.4 of this Article, grant to the airline designated in accordance with paragraph 4.1 of this Article the appropriate operating authorizations.
- 4.3. The aeronautical authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied to the operation of international air services by such authorities in conformity with the provisions of the Convention.
- 4.4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorizations referred to in paragraph 4.2 of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party. The expression "substantial ownership and effective control" means that in any case where the designated airline operates its services under this Agreement by entering into any agreement with the airline of any other country or the Government or nationals of any other country, the Contracting Party designating the airline or its nationals shall not be deemed to have substantial ownership and effective control of the designated



- 5 -

airline, unless the Contracting Party or its nationals, in addition to the ownership of the major part of the assets of the designated airline, have also:-

- (i) effective control in the management of the designated airline, and
- (ii) ownership and effective control of the major part of the fleet of aircraft and equipment used in the operation of the services.

4.5. When an airline has been so designated and authorized, it may operate the agreed services for which it is designated provided that tariffs established in accordance with the provisions of Article 7 of this Agreement are in force in respect of those services.

ARTICLE - 5

Revocation or Suspension of Operating Authorization

5.1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization, or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by an airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:

5.1.1. in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party; or

5.1.2. in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations in force in the territory of the Contracting Party granting these rights; or

5.1.3. in any case where the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

5.2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 5.1 of this Article is essential



- 6 -

to prevent further infringements of the laws or regulations of the provisions of this Agreement, such right shall be exercised only after consultation between the Contracting Parties.

ARTICLE - 6

Principles Governing the Operations of Agreed Services

- 6.1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting parties to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories.
- 6.2. In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.
- 6.3. The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision at a reasonable load factor, of capacity adequate for the current and reasonable anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail originating from or destined for the territory of the Contracting Party which has designated that airline.
- 6.4. Prior to the commencement of the agreed services, the capacity to be provided and the frequency of services to be operated shall be agreed between the aeronautical authorities of the two Contracting Parties in accordance with the principles laid down above and the provisions of this Article and shall be confirmed by an exchange of diplomatic notes.



- 7 -

- 6.5. Any increase in the capacity to be provided and/or frequency of services to be operated by the designated airline of either Contracting Party shall be based primarily on the estimated requirements of traffic between the territories of the Contracting Parties and shall be subject to agreement between the two aeronautical authorities. Pending such agreement or settlement, the capacity and frequency entitlements already in force shall prevail.

ARTICLE - 7

Tariffs

- 7.1. Tariffs to be charged by the designated airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including costs of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.
- 7.2. Tariffs referred to in paragraph 7.1 of this Article shall, if possible, be agreed by the designated airlines of both Contracting Parties, after consultation with any other airlines operating over the whole or part of the routes concerned, and such agreement shall, wherever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association for the calculation of tariffs.
- 7.3. Tariffs so agreed shall be submitted for approval to the aeronautical authorities of both Contracting Parties at least sixty (60) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.
- 7.4. Approval of tariffs may be given expressly; or, if neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph 7.3 of this Article, the tariffs shall be considered



सत्यमेव जयते

- 8 -

as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph 7.3, the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

- 7.5. If tariffs cannot be agreed in accordance with paragraph 7.2 of this Article or if during the period applicable in accordance with paragraph 7.4 of this Article, one Aeronautical Authority gives the other aeronautical authority notice of its disapproval of tariffs agreed in accordance with the provisions of paragraph 7.2 of this Article, the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties shall, after consultation with the Aeronautical Authorities of any other State, whose advice they consider useful, endeavour to determine tariffs by mutual agreement.
- 7.6. If the Aeronautical Authorities cannot agree on tariffs submitted to them under paragraph 7.3 of this Article, or on the determination of tariffs under paragraph 7.5 of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 17 of this Agreement.
- 7.7. Tariffs established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until new tariffs have been established; provided that tariffs shall not be prolonged by virtue of this paragraph for more than twelve (12) months after the date on which they would otherwise have expired.

ARTICLE - 8

Aviation Security

- 8.1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this



Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14th September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16th December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation signed at Montreal on 23rd September, 1971.

- 8.2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.
- 8.3. The Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organisation and designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions are applicable to the Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry, or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.
- 8.4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph 8.3 above required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within



- 10 -

its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

- 8.5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

ARTICLE - 9

Exemption from Customs Duties, Inspection Fees and other Similar Charges

- 9.1. Aircraft operated on international air services by the designated airline of either Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts, supplies of fuel and lubricants, aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all customs duties, inspection fees and other similar charges on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided such equipment, parts and supplies remain on board the aircraft upto such time as they are re-exported or are used on the part of the journey performed over that territory.
- 9.2. There shall also be exempt from the same duties, fees and charges, with the exception of charges corresponding to the service performed:
- 9.2.1. aircraft stores taken on board in the territory of a Contracting Party, within limits fixed by the Customs



- 11 -

authorities of the said Contracting Party and for use on board outbound aircraft engaged in an international air service of the designated airline of the other Contracting Party;

9.2.2. spare parts, including engines, introduced into the territory of either Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft used on international air services by the designated airline of the other Contracting Party; and

9.2.3. fuels and lubricants supplied to an aircraft of the designated airline of a Contracting party engaged in an international air service in the territory of the other Contracting Party, even when these supplies are to be consumed on the parts of the flight which are performed over the territory of the Contracting Party in which they are taken on board; and notwithstanding that on the all such flights aircraft may make intermediate landings in that territory.

9.3. Materials referred to in sub-paragraphs 9.2.1., 9.2.2 and 9.2.3 above may be required to be kept under Customs supervision or control.

ARTICLE - 10

Unloading of Equipment, Materials and Supplies

10.1. Regular airborne equipment, as well as materials and supplies normally retained on board the aircraft of the designated airline of either Contracting Party, may be unloaded in the territory of the other Contracting Party, only with the approval of the Customs authorities of that territory.

10.2. In such cases they may be placed under the supervision of the said authorities upto such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with Customs regulations.



- 12 -

ARTICLE - 11

Application of Laws, Regulations and Procedures

- 11.1. The laws, regulations and procedures of either Contracting Party governing entry into or departure from its territory of aircraft engaged in international air services, or the operation and navigation of such aircraft, shall be complied with by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party upon entry into, and until and including departure from the said territory.
- 11.2. The laws, regulations and procedures of either Contracting Party relating to immigration, passports or other approved travel documents, entry, clearance, customs and quarantine shall be complied with by or on behalf of crews, passengers, cargo and mail carried by aircraft of the designated airline of the other Contracting Party upon entry into, and until and including departure from, the territory of the said Contracting Party.
- 11.3. Passengers, cargo and mail in direct transit across the territory of either Contracting Party and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall, except in respect of security measures against violence, hijacking or sabotage, be subject to simplified control procedures. Cargo and mail in direct transit shall be exempt from customs (and other similar) duties.
- 11.4. Fees and charges applied in the territory of either Contracting Party to the airline operations of the other Contracting Party for the use of airports and other aviation facilities shall not be higher than those applied to the operations of other airlines engaged in similar international air services.
- 11.5. Neither of the Contracting Parties shall give preference to any other airline over the designated airline of the other Contracting Party in the application of its customs, immigration, quarantine, and similar regulations or in the use of airports, airways and air traffic services and associated facilities under its control.



- 13 -

ARTICLE - 12

Provision of Operating Information

12.1. The aeronautical authorities of each Contracting Party shall cause their designated airline to communicate to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, as far in advance, as practicable, prior to the inauguration of the agreed services, the type of service, the type of aircraft to be used, the flight schedules, tariff schedules, and all other relevant information concerning the operation of the agreed services including such information as may be required to satisfy the aeronautical authorities that the requirements of this Agreement are being duly observed. The requirements of this Article shall likewise apply to any changes concerning the agreed services.

ARTICLE - 13

Provision of Statistics

13.1. The aeronautical authorities of each Contracting Party shall cause their designated airline to furnish to the aeronautical authorities of the other Contracting Party statistics relating to the traffic carried during each month on the agreed services to and from the territory of that other Contracting Party, showing the countries of origin and destination and the points of embarkation and disembarkation of such traffic. Such statistics shall be furnished as soon as possible after the end of each month.



- 14 -

ARTICLE - 14

Transfer of Earnings

- 14.1. Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right to remit to its head office, the excess over expenditure of receipts earned in the territory of the other Contracting Party in connection with the carriage of passengers, baggage, cargo and mail. Such remittances, however, shall be made in any convertible currency, and subject to, and in accordance with the foreign exchange regulations of the Contracting Party in the territory of which the revenue accrued.
- 14.2. Such transfers shall be effected on the basis of the official exchange rate for currency payment, or where there are no official exchange rates, at the prevailing foreign exchange market rates for currency payment.
- 14.3. In case special arrangements ruling the settlement of payments are in force between the two Contracting Parties, the provisions of such arrangements shall be applied to the transfer of funds under paragraph 14.1 of this Article.

ARTICLE - 15

Airline Representation

- 15.1. The designated airline of each Contracting Party shall be entitled, subject to the laws and regulations relating to entry and residence of the other Contracting Party, to introduce and maintain on the territory of such other Contracting Party its own representatives together with such technical and commercial staff as may reasonably be required for the provisions of the agreed air services.



- 15 -

ARTICLE - 16

Consultation and Amendment

- 16.1. In a spirit of close cooperation, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex hereto and shall consult when necessary to provide for amendment thereof.
- 16.2. Either Contracting Party may request consultations which may be oral or in writing. Such consultations shall begin within a period of sixty (60) days of the date of receipt of the request unless both Contracting Parties agree to an extension of this period.
- 16.3. Any amendment of this Agreement agreed to by the Contracting Parties shall enter into force when confirmed by an Exchange of Notes.
- 16.4. Any amendment in the annex to this Agreement may be decided upon by direct consultations between the two Aeronautical Authorities.

ARTICLE - 17

Settlement of Disputes

- 17.1. If any dispute arises relating to the interpretation or application of this Agreement, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall endeavour to settle it by negotiations between themselves, failing which the dispute shall be referred to the Contracting Parties for the settlement.



सत्यमेव जयते

- 16 -

ARTICLE - 18

Termination

18.1. Either Contracting Party may at any time give notice in writing through diplomatic channels to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organisation. In such case this Agreement shall terminate twelve (12) months after the date when the notice has been received by the other Contracting Party unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organisation.

ARTICLE - 19

Applicability of Multilateral Air Conventions

- 19.1. To the extent to which they are applicable to the air services established under this Agreement, the provisions of the Convention shall remain in force in their present form between the Contracting Parties for the duration of the Agreement, as if they were an integral part of the Agreement, unless both Contracting Parties ratify any amendment to the Convention, which shall have duly come into force, in which case the Convention as amended shall remain in force for the duration of this Agreement.
- 19.2. If a general multilateral air convention comes into force in respect of both Contracting Parties, the provisions of such convention shall prevail.



- 17 -

ARTICLE - 20

Registration with International Civil Aviation Organisation

20.1. This Agreement and any amendment thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organisation.

ARTICLE - 21

Entry into Force

21.1. After compliance with necessary constitutional procedures, this Agreement shall come into force on the date of signature.

DONE at Maseru this the 16th day of September 1992, in four originals two each in Hindi and English languages, all the texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

[SATYABRATA PAL]
High Commissioner of India
to Lesotho
for the Government of India

[E. T. KOTELO]
Minister of Foreign Affairs
of the Kingdom of Lesotho
for the Government of Lesotho



सत्यमेव जयते

ANNEX
Route Schedule

Section - I

- A. An airline designated by the Government of Republic of India shall be entitled to operate scheduled air services in both directions on the routes specified in this Section and to land for traffic purposes in the territory of Lesotho at the points therein specified.

| Points of Origin | Intermediate Point | Points in Lesotho |
|------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Points in India | One Point of choice as decided upon by the designated airline of India to be specified later. | Maseru |

Note: (a) Point in Column 2 specified above may be omitted on any or all services but all services must originate from or terminate in India.

Section - II

- B. An airline designated by the Government of the Kingdom of Lesotho shall be entitled to operate air services in both directions on the routes specified in this Section and to land for traffic purposes in the territory of India at the points therein specified.

| Points of Origin | Intermediate Point | Points in India |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Points in Lesotho | Mahe (Seychelles) | Bombay |

Note: (a) Point in Column 2 specified above may be omitted on any or all services but all services must originate from or terminate in Lesotho.